

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 1312

दिनांक:- 16.12.2015

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय :- देवघर वन प्रमंडल अन्तर्गत पुनासी जलाशय योजना हेतु 291.17 हे० वन भूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका का पत्रांक 1959 दिनांक 11.12.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका के प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा देवघर वन प्रमंडल के अन्तर्गत पुनासी जलाशय योजना हेतु 291.17 हे० अधिसूचित वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव MoEF की Website पर Online अपलोड करते हुए एवं उसकी हार्ड कॉपी छः प्रतियों में प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित सूचनाएँ एवं तत्संबंधी अभिलेख संलग्न है :-

1. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form 'A' Part I में परियोजना से संबंधित सभी विवरण अंकित किए गए हैं।
2. Environment Clearance संलग्न है।
3. Part-II में वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल का प्रतिवेदन/मंतव्य अंकित है। साथ ही स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
4. Part-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर की अनुशंसा अंकित है।
5. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका का अनुशंसा Part III A में अंकित है एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
6. प्रस्तावित वन की विवरणी प्रस्ताव में संलग्न है।
7. वन प्रमंडल से संबंधित प्रस्ताव के साथ लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है।

8. FRA, 2006 के तहत संबंधित दावा संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करने की सूचना तथा तत्संबंधी उपायुक्त, देवघर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न है।
9. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के विरुद्ध 720.23 एकड़ उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि का अवभार मुक्त, अमिकमण मुक्त एवं विवरण संलग्न है।
10. प्रस्तावित वन भूमि पर प्रजातिवार अवस्थित वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।
11. ग्राम सभा रिज्युलेशन संलग्न है।
12. अपयोजित होने वाले वन भूमि एवं क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भूमि का map संलग्न है।
13. विस्थापियों की ग्रामवार सूची संलग्न हैं
14. R & R Plan संलग्न है।
15. अद्योहस्ताक्षरी का अनुशंसा Part-IV पर संलग्न है, इसे Online Upload कर दिया गया है।

प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः प्रस्ताव की चार प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि सैद्धांतिक सहमति हेतु अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
16/12/2015
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।
7/6/12

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

PUNASI RESERVOIR SCHEME 291.17 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.


(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 291.17 ha. Forest land.

Date :- 16.12.2015

Place :- Ranchi

Signature


(ARUN KUMAR PRABHAKAR)

Nodal Officer

Name & Designation
*Principal Chief Conservator of
Forest-cum-Executive Director
Wasteland Development Board
Jharkhand, Ranchi
(Official Seal)*